न्यायालयः—अमनदीपसिंह छाबडा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

<u>व्य.वाद क.300081ए / 2016</u> <u>संस्थित दिनांक–28.02.2011</u>

01. बंशीलाल पिता स्व0 हीरासिंह, उम्र—52 साल, जाति गोंड, 02. संतराम पिता स्व0 हीरासिंह, उम्र—50 साल, जाति गोंड, दोनों निवासी ग्राम माना तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र)

..वादीगण

:: <u>विरूद्</u>व ::

- 01.श्रीमती सत्तोबाई पति स्व0 मनसुखलाल, उम्र-55 साल,
- 02. सुकलाल पिता स्व0 मनसुखलाल, उम्र-35 साल,
- 03.अवतारसिंह पिता स्व0 मनसुखलाल, उम्र-32 साल,
- 04.महिपालसिंह पिता स्व0 मनसुखलाल, उम्र-30 साल,
- 05.रामचरण पिता स्व0 मनसुखलाल, उम्र—40 साल, सभी जाति गोंड, सभी निवासी ग्राम माना तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र)
- 06.मध्यप्रदेश शासन तर्फे-कलेक्टर बालाघाट(म०प्र०)
- 07.सुन्तीबाई पति गुव्हासिंह, उम्र-60 साल, जाति गोंड,

निवासी ग्राम बम्हनी(मोहगांव) तहसील बैहर जिला बालाघाट(म0प्र0)

08.कौशलबाई पति सोनसिंह, उम्र–45 साल, जाति गोंड,

निवासी ग्राम बैजलपुर(गढ़ी) थाना व तहसील बैहर जिला बालाघाट(म०प्र०)

09.रामकलीबाई पति सुखराम, उम्र-40 साल, जाति गोंड,

निवासी ग्राम बैजलपुर(गढी) थाना व तहसील बैहर जिला बालाघाट(म०प्र०)

10.झामाबाई पति हिरनसिंह, उम्र–35 साल, जाति गोंड,

निवासी सहेगांव, थाना मलाजखंड तहसील बैहर जिला बालाघाट(म0प्र0)

11.पारवतीबाई पति राजूसिंह, उम्र–25 साल, जाति गोंड,

निवासी ग्राम बम्हनी(मोहगांव) तहसील बैहर जिला बालाघाट(म०प्र०)

.....प्रतिवादीगण

ः <u>निर्णय</u>ः (<u>दिनांक 28.11.2017 को घोषित</u>)

- 01— वादीगण ने यह वाद मौजा माना, प.ह.न.53 स्थित खसरा नंबर 9/2 रकबा 13.25 एकड़ के एक मात्र स्वामी घोषित किये जाने व संशोधन पंजी कमांक 20 दिनांक 01.09.2008 त्रुटिपूर्ण होने से प्रभावशून्य घोषित किये जाने तथा प्रतिवादी कमांक 01 से 05 के नाम वादग्रस्त भूमि के राजस्व प्रलेखों से काटे जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- 02— प्रकरण में स्वीकृत है कि वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है तथा मूल पुरूष हीरासिंह है, हीरासिंह एवं उनकी पत्नि ननकुनबाई की मृत्यु हो गई है,

जो वादीगण के साथ निवास करते थे तथा माननीय अपीलीय न्यायालय के व्यवहार अपील कमांक 37ए/13 में पारित निर्णय दिनांक 08.11.2016 के निर्देशानुसार प्रकरण का पुनः निराकरण किया जा रहा है।

- 03— वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के पिता हीरासिंह ग्राम माना तहसील बैहर जिला बालाघाट का निवासी था। उसने प्रथम विवाह पौहनीनबाई निवासी भड़गांव से कर घर जमाई बन गया था। ग्राम भड़गांव में पौहनीनबाई के साथ रहते हुए पौहनीनबाई से पुल मनसुखलाल उत्पन्न हुआ था। मनुसखलाल तीन—चार वर्ष का था, तब उसकी माँ पौहनीनबाई की मृत्यु हो गई, जिसके उपरांत हीरासिंह भड़गांव की संपूर्ण संपत्ति को उसके पुत्र मनसुख को देकर ग्राम माना आकर दूसरा विवाह हेमलाल की पुत्री ननकुनबाई से किया था। हीरासिंह की ननकुनबाई से वादीगण के अतिरिक्त पुत्र बंशीलाल, संतराम, रामचरण, सुन्तीबाई, कौशलबाई, रामकली, झामाबाई एवं पार्वतीबाई उत्पन्न हुई थी, जो ग्राम माना में ही निवासरत है। वादीगण के नाना हेमलाल ने वादग्रस्त भूमि को वादीगण के अवयस्क होने से खरीद कर दिया था और वादग्रस्त भूमि को विकय पत्र में वादीगण के साथ उनके संरक्षक के रूप में पिता हीरासिंह का नाम दर्ज करवा दिया था।
- विकय कर अपने ससुराल में निवास के लिये चला गया, जहां से वह ग्राम माना अपने पिता हीरासिंह के पास आना—जाना करता था, तब हीरासिंह ने मनसुखलाल को अपने पुत्र होने के नाते हेमलाल द्वारा खरीदी गई भूमि में से 2.50 एकड़ भूमि मकान व बाड़ी बनाने के लिए दिया था, जो वर्तमान में खसरा नंबर 9/3 रकबा 2.50 एकड़ भूमि के रूप में मनसुख के नाम दर्ज है। हीरासिंह की मृत्यु पश्चात ननकुनबाई की भी मृत्यु हो गई। वर्ष 2007 में मनसुखलाल की मृत्यु होने के पूर्व उसने वादग्रस्त भूमि में कभी हिस्से की मांग नहीं की, क्योंकि उसके पिता हीरासिंह ने उसे हिस्सा दिया था। वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि नहीं है, परंतु प्रतिवादीगण ने चोरी—छिपे वादग्रस्त भूमि के राजस्व प्रलेख में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण को एक मात्र स्वत्व प्राप्त होने की घोषणा के साथ प्रतिवादीगण कमांक 01 से 05 का नाम राजस्व प्रलेखों से काटने का आदेश पारित किया जावे।
- 05— प्रतिवादी क्रमांक 01 से 05 द्वारा जवाबदावा के साथ प्रतिदावा प्रस्तुत कर स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त शेष अभिवचनों को अस्वीकार कर यह व्यक्त किया गया है कि हीरासिंह की पहली पितन रघीबाई थी, जिससे एक मात्र पुत्र मनसुखलाल उत्पन्न हुआ था। हीरासिंह ने ग्राम मण्डई की खानदानी भूमि का अपना हिस्सा विक्रय कर ग्राम माना ने खसरा नंबर 09 में से 17.75 एकड़ भूमि क्रय की थी और उसके विक्रय पत्र में अपने साथ अवयस्क पुत्र वादीगण का नाम भी केता के रूप में दर्ज करा दिया था। मनसुखलाल

ग्राम माना में आकर उसके पिता के साथ रहने लगा, तब उसके पिता ने वादग्रस्त भूमि में से 0.50 एकड़ भूमि मकान बनाने के लिए दिया, जिस पर वह पृथक मकान बनाकर अपने परिवार सिहत निवास करने लगा। वादीगण ने ग्राम माना की 17.75 एकड़ भूमि में से 4.50 एकड़ भूमि पृथक—पृथक व्यक्तियों को विकय की थी। मनसुखलाल ने स्वयं की आय से ग्राम माना स्थित 2.50 एकड़ भूमि दिनांक 01.11.1993 को कय की थी। प्रतिवादी कमांक 01 से 04 हीरासिंह की ग्राम माना स्थित 17.75 एकड़ भूमि में से 1/4 अंश प्राप्त करने के अधिकारी है, जिसका कब्जा वादीगण से दिलाया जावे।

- 06— प्रतिवादी क्रमांक 07 से 11 ने जवाबदावा में वादपत्र के संपूर्ण अभिवचन को स्वीकार कर यह व्यक्त किया है कि वादीगण के नाना हेमलाल ने वादग्रस्त भूमि क्रय की थी, जिस पर मृतक हीरासिंह का हक व हिस्सा पाया जाता है तो उसके सभी वारसान वादग्रस्त भूमि पर अपना अंश प्राप्त करने के अधिकारी है।
- **07** प्रतिवादी कमांक 05 एवं 06 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है और प्रकरण में एकपक्षीय रहे है।
- 08— वादीगण ने प्रतिदावा का जवाबदावा में यह अभिवचन किया है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के पिता मनसुखलाल या उनके पिता हीरासिंह की भूमि नहीं है, बल्कि प्रतिवादीगण ने अवैध रूप से वादग्रस्त भूमि के राजस्व प्रलेखों में अपना नामांतरण करवा कर भूमि हड़पने के आशय से असत्य आधार पर प्रतिदावा पेश किया है। ऐसी स्थिति में प्रतिदावा निरस्त किया जावे।
- 09— उभयपक्ष के अभिवचनों तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्नों की विरचना की गई है, जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष निम्नानुसार है:—

क्रमांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 9/2 रकबा 13.25 एकड़ प.ह.नं.53 ग्राम माना तहसील बैहर जिला बालाघाट की भूमि मात्र वादीगण के हक मालिकी की भूमि है ?	भूमि पर 1/3 अंश एवं उनके पिता हीरासिंह के
2.	क्या वादग्रस्त भूमि से संबंधित संशोधन पंजी क्रमांक 20 दिनांक 01.09.2008 प्रभावशून्य घोषित किये जाने योग्य है ?	प्रमाणित
3.	क्या वादग्रस्त भूमि में से प्रतिवादी क्रमाक 01 से 05 का नाम अभिलेख से कटवाने का वादी हकदार है ?	प्रमाणित नहीं

4.	क्या वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण का 1/4 अंश होने से अंश निर्धारण करवाकर कब्जा प्राप्त करने के हकदार है ?	
5.	क्या उभयपक्ष गोंड अनुसूचित जनजाति की ऐसी उत्तराधिकार प्रथा से शासित होते हैं, जिसमें पुत्रियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त नहीं होता है ?	प्रमाणित नहीं
6	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की कंडिका क्रमांक 16 के अनुसार

विवाद्यक प्रश्न कमांक 05 का निष्कर्ष

🧪 उभयपक्ष द्वारा तत्संबंध में कोई विवाद नहीं किया गया है कि वह गोंड अनुसूचित जनजाति के सदस्य है तथा उन पर हिंदू उत्तराधिकार विधि लागू नहीं होती। मुख्य विवाद पुत्रियों के पिता की संपत्ति पर अधिकार को लेकर है। तत्संबंध में सबूत का भार प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 पर है कि वह यह दर्शित करे कि पुत्रियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त नहीं होता। उभयपक्ष द्वारा उत्तराधिकार प्रथा के संबंध में मौखिक औपचारिक कथन किये गये हैं तथा प्रकरण में तत्संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत मधुकिश्वर विरुद्ध बिहार राज्य एवं अन्य ए.आई.आर.1996 एस.सी.1884 में यह कहा गया है कि जनजातियों की प्रथाएं क्षेत्रवार व जातिवार अलग–अलग होती है। मेघालय को छोड़कर संपूर्ण भारत में पुरूष उत्तराधिकार प्रथाओं में पाया जाता है तथा पुत्रों को पुत्रियों पर प्रधानता दी जाती है, परंतु प्रकरण में यह दर्शित नहीं किया गया है कि गोंड जनजाति प्रथा में पुत्रियों को हिस्सा नहीं दिये जाने की प्रथा है। प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व के उदाहरणों में यह दर्शित किया जा सकता था कि पूर्व में भी पुत्रियों को कोई हिस्सा नहीं दिया जाता रहा है और तत्संबंध में मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की जा सकती थी, परंतु प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया और मात्र मौखिक औपचारिक कथन किये गये हैं। वादीगण द्वारा भी ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया और मात्र औपचारिक कथन कर दिये गये, जबिक वह स्वयं भी साक्ष्य द्वारा यह दर्शित कर सकते थे कि पूर्व में भी पुत्रियों को हिस्सा दिया जाता रहा है, परंतु चूँकि प्रतिवादीगण द्वारा ही माननीय अपीलीय न्यायालय में यह चुनौती दी गई थी तथा पश्चात में न्यायालय में यह अभिवचन किये गये थे। फलतः सबूत का भार उन पर ही था कि वह यह सिद्ध करे कि पैतृक संपत्ति पर पुत्रियों को

अधिकार प्राप्त नहीं होता और प्रतिपक्ष की कमजोरी के आधार पर उन्हें भार से मुक्त नहीं किया जा सकता।

भारतीय संविधान पुरूष और महिला में भेद नहीं करता और उन्हें समान अधिकार प्रदान किये गये है, अपितु महिलाओं को उनकी स्थिति को देखते हुए कुछ स्थानों पर प्रधानता दी गई है तथा तत्संबंध में विशेष उपबंध निर्मित किये गये हैं। माननीय सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय द्वारा भी समय–समय पर विभिन्न न्यायदृष्टांतों के माध्यम से यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि महिलाओं को संपत्ति तथा अन्य सभी मामलों में पुरूषों के समान अधिकार है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में भी पश्चातवर्ती संशोधन के माध्यम से उक्त विकृति को दूर किया गया और महिलाओं के समान अधिकार को स्वीकृत किया गया। यद्यपि यह सामान्य सिद्धांत है कि उत्तराधिकार में अनुसूचित जनजातियों में पुरूष प्रधानता है, तथापि साक्ष्य के पूर्ण अभाव में पक्षकारों की प्रथा के संबंध में प्रतिकूल निष्कर्ष की उपधारणा करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि साम्य का सिद्धांत भी यही कहता है। साक्ष्य के अभाव में महिलाओं को अधिकारों से वंचित करने की प्रथा की उपधारणा नहीं की जा सकती। प्रथा के स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में न्याय तथा साम्य के अनुसार यह निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है कि पिता की संपत्ति पर सभी संतानों का समान अधिकार होता है। फलतः विवाद्यक क्रमांक ०५ का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न कमांक 01 एवं 04 का निष्कर्ष

- 12— पूर्व निर्णय दिनांक 29.10.2013 में न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि को पैतृक नहीं माना था तथा यह निष्कर्ष दिया था कि वादग्रस्त भूमि के तीन सहस्वामी हीरालाल, बंशीलाल व संतराम है। न्यायालय ने वादीगण को 2/3 अंश प्रदान कर हीरासिंह के 1/3 अंश पर उसके पुत्र—पुत्रियों का 1/9 अंश प्रदान किया था। उक्त निर्णय को उक्त बिंदु पर भी चुनौती दी गई थी, परंतु माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा तत्संबंध में कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं दिया था। माननीय अपीलीय न्यायालय ने मात्र हीरासिंह के 1/3 अंश के संबंध में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 लागू न होने के कारण निर्णय अपास्त कर गोंड अनुसूचित जनजाति के उत्तराधिकार के संबंध में वादप्रश्न निर्मित कर तत्संबंध में साक्ष्य उपरांत विधि की प्रक्रिया अनुसार निर्णय पारित करने के निर्देश दिये थे।
- 13— प्रकरण की नवीन परिस्थितियों में उभयपक्ष द्वारा प्रथा के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत की गई है तथा पूर्व की परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। प्रकरण की मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है तथा विकय पत्र दिनांक 02.02.66 प्र.पी.01 और

THE

पश्चात के राजस्व प्रलेखों से यह निष्कर्ष स्वाभाविक है कि वादग्रस्त भूमि के तीन सहस्वामी है। फलतः तत्संबंध में मेरे निष्कर्ष पूर्ववर्ती पीठासीन अधिकारी के निष्कर्ष से भिन्न नहीं है। प्रकरण की नवीन परिस्थितियों में मुख्य विवाद मात्र पक्षकारों की उत्तराधिकार की प्रथा के संबंध में है, क्योंकि प्रतिवादी कमांक 01 से 04 के अनुसार गोंड जाति की प्रथाओं में पुत्रियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त नहीं होता है तथा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा—2(2) यह उपबंध करती है कि उक्त अधिनियम जनजाति को लागू नहीं होगा, जब तक केन्द्र सरकार द्वारा तत्संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाए। पूर्व के निष्कर्ष अनुसार यह प्रमाणित नहीं पाया गया है कि उभयपक्ष उत्तराधिकार की ऐसी प्रथा से शासित होते हैं, जिसमें पुत्रियों को पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

14— पूर्व निर्णय अनुसार हीरासिंह के 1/3 अंश पर सभी संतानों को समान अंश प्रदान किया गया था। फलतः वर्तमान परिस्थितियों में उक्त निष्कर्ष न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः वादीगण का विवादित भूमि पर एक मात्र स्वत्व दर्शित नहीं होने के कारण विवाद्यक प्रश्न कमांक 01 का निष्कर्ष प्रत्येक वादी को विवादित भूमि पर 1/3 अशं एवं उनके पिता हीरासिंह के 1/3 अंश का 1/9 अंश प्राप्त, के रूप में निराकृत किया जाता है तथा विवाद्यक प्रश्न कमांक 04 का निष्कर्ष अंशतः प्रमाणित विवादित भूमि पर हीरासिंह के 1/3 अंश के मनसुखलाल को प्राप्त 1/9 अंश पर प्रतिवादी कमांक 01 से 04 को स्वत्व एवं कब्जा प्राप्त है, के रूप में दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न कमांक-02 एवं 03 का निष्कर्ष:-

सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के आशय से उक्त दोनों विवाद्यक प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

15— वादग्रस्त भूमि की संशोधन पंजी क्रमांक 20 दिनांक 01.09.2008 प्रदर्श पी—6 के अनुसार हीरासिंह की मृत्यु उपरांत उसके वारसान के रूप में मनसुखलाल की पितन व पुत्रों का नाम प्रलेखों में दर्ज होना प्रकट होता है। उक्त संशोधन पंजी में प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 के साथ प्रतिवादी क्रमांक 05 रामचरण का नाम भी वादीगण के नाम के साथ दर्ज होना प्रकट होता है। वादग्रस्त भूमि की उक्त संशोधन पंजी एवं अन्य राजस्व प्रलेख में हीरासिंह की पुत्रियों अर्थात् प्रतिवादी 07 से 11 का नाम दर्ज नहीं है। इसी प्रकार संशोधन पंजी क्रमांक 20 दिनांक 01.09.2008 प्र.पी.06 प्रभाव शून्य होकर निरस्त किये जाने योग्य है, जबिक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के साथ हीरासिंह के 1/3 अंश पर सभी प्रतिवादीगण को स्वत्व प्राप्त है। ऐसी स्थिति में वादीगण को प्रतिवादीगण का नाम वादग्रस्त भूमि के राजस्व प्रलेखों से कटवाने का अधिकार नहीं है। फलतः विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 02 का निष्कर्ष प्रमाणित तथा विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 03 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

THE

विवाद्यक प्रश्न कमांक-06 का निष्कर्ष:-

सहायता एवं व्यय:-

- 16— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि वादीगण ने अपना वाद एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 ने अपना प्रतिदावा अंशतः प्रमाणित किया है। वादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर प्रत्येक वादी को वादग्रस्त भूमि पर 1/3 अंश एवं उनके पिता हीरासिंह के 1/3 अंश का 1/9 अंश प्राप्त होना प्रमाणित किया है तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 ने वादग्रस्त भूमि पर वादग्रस्त भूमि के 1/3 अंश के 1/9 अंश पर स्वत्व प्राप्त होना प्रमाणित किया है। उभयपक्ष उपरोक्त अनुसार राजस्व अभिलेख में संशोधित करने एवं अपने—अपने अंश का पृथक आधिपत्य प्राप्त करने हेतु सक्षम राजस्व न्यायालय में कार्यवाही करें। अतएव वाद में निम्नानुसार आज्ञप्ति पारित की जाती है:—
 - (अ) यह आदेशित किया जाता है कि ग्राम माना, प.ह.नं.53, तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 9/2 रकबा 13.25 एकड़ भूमि पर प्रत्येक वादी को 1/3 अंश एवं उनके पिता हीरासिंह के 1/3 अंश का 1/9 अंश तक स्वत्व प्राप्त है।
 - (ब) यह आदेशित किया जाता है कि उक्त विवादित भूमि पर हीरासिंह के 1/3 अंश के मनसुखलाल को प्राप्त 1/9 अंश पर प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 का स्वत्व प्राप्त है।
 - (स) उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय वहन करेंगे।
 - (द) अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा तालिका अनुसार जो कम हो वाद व्यय में जोड़ी जावे।

तद्नुसार उक्त आशय की आज्ञप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

सही / – (अमनदीप सिंह छाबड़ा) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—दो, बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

सही / —
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
हर व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—दो, बैहर
जिला बालाघाट म.प्र.